संख्या-151/इक्कीस-4-2014-30/2013

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
लखनऊ |

भाषा अनुभाग - 4 लखनऊ, दिनांक: 31 जुलाई 2014

विषय :- हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 2014 - 2015 के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन मद में धनराशि की स्वीकृति |

महोदय,

हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद को चालू वित्तीय वर्ष 2014 - 2015 में प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान अवधि में शासनादेश संख्या - 75 / इक्कीस - 4 - 2014 - 30/2013 दिनांक 07 अप्रैल , 2014 द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 11.30 लाख (रुपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई थी | उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद को चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में शेष अवधि की आवश्यकता हेतु वेतन आदि के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित अनुदान रुपये 34.00 लाख (रूपये चौतीस लाख मात्र)में से लेखानुदान अवधि के लिए स्वीकृति धनराशि रुपये 11.30 लाख के समायोजन के उपरान्त रुपये 22.70 लाख (रुपये बाईस लाख सत्तर हजार मात्र)की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)उपरोक्त स्वीकृति धनराशि राजकोष से आहरित करके आपके द्वारा एकेडमी को भुगतान किया जाएगा और उसका बिल अनुसचिव ,भाषा विभाग , उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा |
(2)इस धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है| इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 भाग -1 के अध्याय -16ए में दिए गए नियम लागू होंगे |

(3)स्वीकृति धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह तथा उपभोग प्रमाण पत्र मार्च 2015 तक शासन को उपलब्ध कराया जाय | स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल वर्तमान वितीयवर्ष में राजकोष में जमा किया जायेगा| इसके अतिरिक्त वित्तीयवर्ष 2013-14 का उपभोग प्रमाणपत्र एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय |

2-उपर्युक्त संपूर्ण धनराशि रुपये 22.70 लाख (रुपये बाईस लाख सत्तर हजार मात्र)चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-39 के लेखाशीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा आयोजनेत्तर -03-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104- अराजकीय कॉलेजों और संस्थानों को सहायता 03 - हिन्दुस्तानी एकेडमी ,उत्तर प्रदेश को अनुदान -31- सहायता अनुदान - सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा |

3- यह आदेश वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -बी -1-2457 /दस -2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 के क्रम में जारी किये जा रहे है |

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव |

संख्या-151(1)/इक्कीस-4-2014-30/13 तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट)उ०प्र० इलाहाबाद |
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट)प्रथम /द्वितीय,उ०प्र० इलाहाबाद |
(3)महालेखाकार,(लेखा एवं हकबंदी)प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद |
(4)कोषाधिकारी ,लखनऊ |
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ,उ०प्र० इलाहाबाद |
(6) सचिव, हिन्दुस्तानी एकेडमी , राजर्षि टंडन भवन , 12-डी कमला नेहरु मार्ग , इलाहाबाद |
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग - 7
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1
(9) भाषा उर्दू अनुभाग - 4
(10) गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(अशोक कुमार अस्थाना)
अनुसचिव(भाषा) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।